न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी–श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 28/22
निर्णय दिनांक –09.05.2024
GCMS No.- 2022/32

कल्याणसिंह पुत्र गिरधारीराम जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

..........वादी

बनाम

1. दुर्गाराम उर्फ दुर्गासिंह उर्फ दुर्गाप्रसाद पुत्र गिरधारीराम जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान हाल निवासी प्रवक्ता पोलिटेक्नीकल कॉलेज कोटा
2. दामोदर उर्फ दामोदरसिंह पुत्र गिरधारीराम जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
3. भंवराराम उर्फ भंवरसिंह तंवर पुत्र गिरधारीराम जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान हाल नि0 भवानी क्लोथ स्टोर सिगंपुर जिला जोजपुर ओडिसा
4. राधाकंवर पुत्री गिरधारीसिंह पत्नी पृथ्वीसिंह राठौड़ जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ हाल निवासी हेमासर आथूणा पोस्ट बालेंरा वाया चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. सरोज कंवर पुत्री गिरधारीसिंह पत्नी निर्मलसिंह मेड़तिया जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान हाल निवासी चोरड़िया गर्ल्स हाई स्कूल के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

..........प्रतिवादीगण

<u>दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु</u>

उपस्थितः–

1. श्री गोवर्धनलाल चौधरी एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राज पैरोकार उपस्थिति।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

निर्णय

संक्षिप्त मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ में खेत ख. न. 248 तादादी 2.7313 हेक्टर वादी व प्रतिवादीगण संख्या एक ता पाँच के संयुक्त खातेदारी के स्थित है जिसमें वादी का 7/30 हिस्सा नियत है। जिसका वादी विभाजन करवाना चाहता है। वाद वादी न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस एकपक्षीय विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 248 रकबा 2.7313 हैक्टेयर रोही ग्राम गोपालपुरा में 7/30 हिस्सा पांति का रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भी वादी उतने ही हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री तथा चिरनिषेधाज्ञा की हद तक खारीज किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 248 रकबा 2.7313 हैक्टेयर रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का वादी का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 06 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

कल्याणसिह बनाम दुर्गाराम आदि

दावा बाबत खातेदारी भूमि विभाजन

मुकदमा न0 28 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री गोवर्धनलाल एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 248 रकबा 2.7313 हैक्टेयर रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का वादी का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 05. 2024

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू, सत्यमेव जयते)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक मीजान			मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

फर्द मौका

आज दिनांक 29-1-2024 को श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय सुजानगढ़ के आदेश क्रमांक: न्याय/2024/36 दिनांक 3-1-2024 व श्रीमान तहसीलदार साहब सुजानगढ़ के आदेश क्रमांक भू.अ./2024/143-144 दिनांक 10.01.2024 की पालना में विभाजन-प्रस्ताव नि मौके पर निम्नानुसार तैयार किया गया।

क्र.सं.	नाम काश्तकार मय वल्दीयत	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	कल्याण सिंह पुत्र गिरधारीराम जाति रावणा राजपूत नि. गोपालपुरा हिस्सा पूर्ण रहिन हिस्सा 5462/6373 BOB शाखा सुजानगढ़ मुर्तहीन	248 मि.	0.6273	बा.अ.	
	किता	1	0.6273	बा.अ.	
2	दुर्गाराम दामोदर भंवरलाल पि. गिरधारीराम हि 1911/2094 ब.हि.ब. राधा सरोज पुत्रियां गिरधारी राम हि 61/698 ब.हि.ब. जाति रावणा राजपूत नि. गोपालपुरा खातेदार	248 मि.	~~2.044~~ 2.064	बा.अ.	
	किता	1	~~2.044~~ 2.064	बा.अ.	
3.	कल्याण सिंह पुत्र गिरधारी व दुर्गाराम दामोदर भंवरलाल राधा सरोज पि. गिरधारीराम ब.हि.ब. जाति रावणा राजपूत	248 मि	0.024	बा.अ. रास्ते हेतु	

उपरोक्तानुसार मौके पर (सा. हि. खातेदार) कब्जा काश्त अनुसार विभाजन-प्रस्ताव तैयार कर फर्द मौका, पढ़कर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाये गये।

(हस्ताक्षर) 29-1-2024 भू.अ. गोपालपुरा

(हस्ताक्षर) 29/1/24

(वादी)
तहसीलदार (सु.ज.)
सुजानगढ़ (चूरू)

(हस्ताक्षर) पटवारी ... 2024

ओमप्रकाश प्रजापत
सामवाला (हस्ताक्षर)

पूसाराम (प्रभारी डा० मोहनराम प्रजापत)

राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 07/02/2024 11:34:19 AM

तहसील : सुजानगढ़

भू. अ. नि. क्षेत्र : जीली

…: चूरू

…ल्का : गोपालपुरा

ग्राम : गोपालपुरा

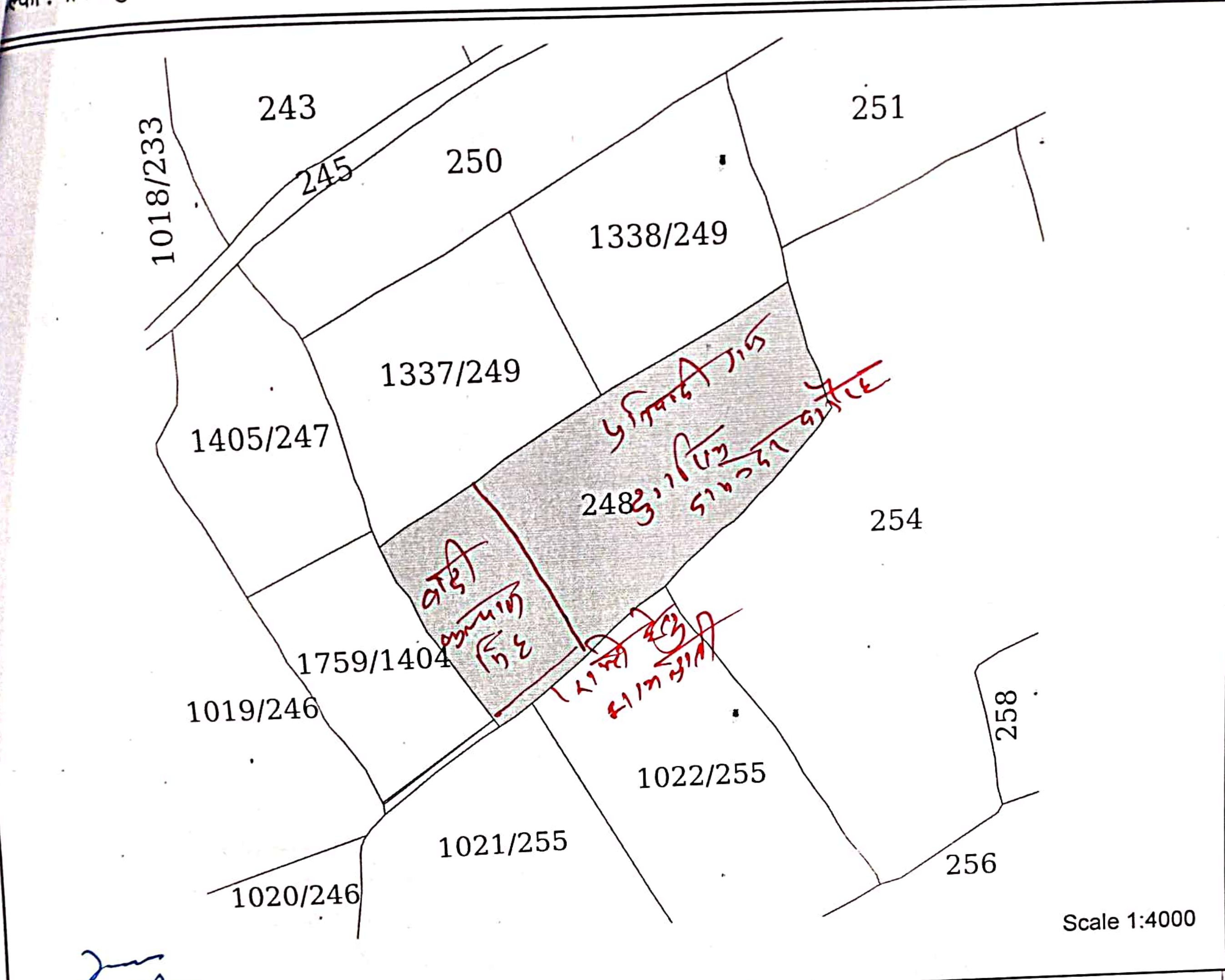

खसरा संख्या :248 क्षेत्रफल : 2.7313 Hectare खाता संख्या : 325पुराना खाता संख्या :296

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.अब्बल [2.7313, 6.47]

1.) कल्याणसिहं पुत्र गिरधारीराम हिस्सा- 7/30 जाति- रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा SUJANGARH, DIST CHURU

2.) दुर्गाराम पुत्र गिरधारीराम हिस्सा- 7/30 जाति- रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा खातेदार

3.) दामोदर पुत्र गिरधारीराम हिस्सा- 7/30 जाति- रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा खातेदार

4.) भंवराराम पुत्र गिरधारीराम हिस्सा- 7/30 जाति- रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा खातेदार

5.) राधा पुत्री गिरधारीराम हिस्सा- 1/30 जाति- रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा खातेदार

6.) सरोज पुत्री गिरधारीराम हिस्सा- 1/30 जाति- रावणा राजपूत निवासी गोपालपुरा खातेदार

तहसीलदार(सु.ग.) सुजानगढ़(चूरू)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null